

ब/25

प्राथमिक के निवेदन पर छात्रवृत्ति प्राप्ति-पत्र को संबंधित
 मूल पाप को ताल दिनांक को पेशी में लिया जाकर
 स्वीकृत किया जा चुका है इस प्राप्ति-पत्र का कोई
 शामिल नहीं हो जाता है इसलिए यह प्राप्ति-पत्र वही
 स्तर पर स्वीकृत किया जाता है पर्याप्त केसला
 सुमात्र लेकर नंबर से काम की जाकर शामिल दस्ता
 है।

Devidas

उपखण्ड अधिकारी
 तारानगर (चूरु)